सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2017/366 दायर दिनांक 22.12.2017

वादीगण		प्रतिवादी
1. नेमाराम पुत्र गंगाराम, 2. कानाराम पुत्र गंगाराम, 3. केशाराम पुत्र गंगाराम, 4. किशनाराम पुत्र गंगाराम, 5. पेमाराम पुत्र गंगाराम, समस्त जाति जाट, निवासीयान खरेश, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम्	1. गंगाराम पुत्र तिलोकाराम, उम्र 80 वर्ष, जाति जाट, निवासी खरेश, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी
अन्तर्गत धारा– 88 R.T.Act.

उपस्थित–

1. श्री हीरसिंह बलारा व रणजीत बलारा अधिवक्ता, वादीगण की और से।
2. श्री मोहम्मद रफिक अधिवक्ता, प्रतिवादी की और से।

–:: निर्णय ::– दिनांक 28.12.2017

1. वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 280 रकबा 31.09 बीघा वाके सरहद खरेश स्थित है, जिसकी वर्तमान में खातेदारी प्रतिवादी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जमाबन्दी की नकल वाद के साथ पेश है। वादीगण, प्रतिवादी के जायन्दा पुत्र है, जो काफी वर्षो से अलग अलग होकर अलग अलग निवास करते आ रहे है तथा अलग अलग ही खेत का मौखिक बंटवारा करके काश्त करते है तथा वर्षो पूर्व उक्त खेत का मौखिक बंटवारा पक्षकारान ने कर लिया था, और प्रत्येंक पक्षकार के बंट व कब्जा में 1/5 हिंस्सा कानूनन आता है, और इसी प्रकार प्रत्येंक वादी 1/5 हिंस्से पर काबिज चला आ रहा है। वादीगण ने अपने अपने हक हिंस्से के खेत को खाद्व वगैरह डालकर उपजाउ बना लिये है तथा बिच में सिंवे कायग है, तथा हर वर्ष अपने अपने हिंस्से के खेतो के बाड़ करते आये है तथा रहवासी गकान बने हुये है। प्रतिवादी वृद्व है तथा सोचन शक्ति भी कम हो गयी है, और भोले मन का व्यक्ति है जो लोगो के बहकावे में आ रखा है तथा किसी भी एक पुत्र के नाम से जमीन का खाता करवाने की हाल ही में धमकी दी हैं, जबकि उक्त खेत पैतृक है और सभी वादीगण का बराबर हक हिंस्सा है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी ने उक्त खेत का विक्रय हस्तानान्तरण किसी एक के नाम कर दिया या किसी अन्य के नाग जमीन कर दी तो वादीगण को अजहद नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से संभव नहीं होगी, वादीगण पॉचो उक्त खेत की खातेदारी में अपने नामो की घोषणा करवाने के जायज अधिकारी है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 को वास्ते जवाब देही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 मय वादीगण के दिनॉक 28.12.2017 को हाजिर अदालत आया तथा राजीनामा पेश किया, जो पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिसे पक्षकारान ने सही होना स्वीकार किया, राजीनामा तस्दीक कर शामिल मिशल किया गया। प्रतिवादी गंगाराम की पहचान मोहम्मद रफिक अधिवक्ता ने कि तथा वादीगण की पहचान अधिवक्ता रणजीत बलारा ने कि।

विद्वान अधिवक्तागण की गई सारगर्भित बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

अधिवक्ता वादीगण व अधिवक्ता प्रतिवादी वाद को जरिये राजीनामा डिक्री किये जाने की इस्तदुआ कर रहे है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादीगण का वाद सादिर डिक्री किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा जरिये राजीनामा डिक्री सादिर कर वाके सरहद खरेश में स्थित खेत खसरा संख्या 280 रकबा 31.09 बीघा, में से प्रतिवादी गंगाराम का नाम हटाकर, उसकी जगह प्रत्येक वादीगण की 1/5–1/5 हिंस्से की खातेदारी घोषित कि जाती है, इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामदगी की जावे। राजिनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
(सहायक कलक्टर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 28.12.2017 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
(सहायक कलक्टर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : **श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.**

वादीगण		प्रतिवादी
1. नेमाराम पुत्र गंगाराम, 2. कानाराम पुत्र गंगाराम, 3. केशाराम पुत्र गंगाराम, 4. किशनाराम पुत्र गंगाराम, 5. पेमाराम पुत्र गंगाराम, समस्त जाति जाट, निवासीयान खरेश, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम्	1. गंगाराम पुत्र तिलोकाराम, उम्र 80 वर्ष, जाति जाट, निवासी खरेश, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी,
अन्तर्गत धारा– 88 R.T.Act.

दिनांक :– 06.10.2017

; मुकद्दमा आज ववास्स्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री रसिंह बलारा, अधिवक्ता, वादीगण की ओर से मोहम्मद रफिक अधिवक्ता, प्रतिवादी की ओर मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि है दावा डिक्री सादिर कर सरहदखरेश में थत खेत खसरा संख्या 280 रकबा 31.09 बीघा, में से प्रतिवादी गंगाराम का नाम हटाकर, उसकी गह प्रत्येक वादीगण की 1/5–1/5 हिंस्से की खातेदारी घोषित कि जाती है, इसी अनुसार जस्व रेकर्ड में अमल दरामदगी की जावे। राजिनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। मौजा दनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

नीज..........–...........मुबलिंग............मुबलिंग...........–..............बाबत.............–..........

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह ....–............ आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 28.12.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय			मुतफर्रिक		
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक			मिजान		
मिजान					

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांक –16–2015 / रीडर / 2017 / 22 दिनॉक 3/1/18

प्रेषिति :–

तहसीलदार

डीडवाना।

विषय :– अंतिम निर्णय की पालना करने बाबत।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी
अन्तर्गत धारा– 88 R.T.Act.

निर्णय दिनॉक 28.12.2017

राजस्व वाद संख्याः 2017 / 366

वादी		प्रतिवादीगण
1. नेमाराम पुत्र गंगाराम, जाति जाट, निवासी खरेश, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान वगैरह	बनाम	1. गंगाराम पुत्र तिलोकाराम, उम्र 80 वर्ष, जाति जाट, निवासी खरेश, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान वगैराह

उपरौक्त विषयक वर्णित प्रकरण में निर्णय की छाया प्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट भिजवाये, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हों।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner